

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज0 जयपुर।
 क्रमांक: ई-33/पै.मे.संव./एफ-1142(11083)/2026/105 दिनांक : 16/2/26

--: आदेश :-

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.11(7)एफ.डी./नियम/2008/दिनांक 12.09.2008, एफ.14(88)वित्त(नियम)/2008-I दिनांक 31.12.2009, एफ.15(1)एफ.डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.14(88)एफ.डी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15(88)एफ.डी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित पैरामेडिकल संवर्ग के कार्मिक जिन्होंने राज्य सेवा/संवर्ग में 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी/एमएसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	राज्य सेवा/संवर्ग में प्रथम नियुक्ति/कार्यग्रहण तिथि	एसीपी एमएसीपी देय दिनांक व पूर्ण सेवावधि	वर्तमान प्राप्त ग्रेड-पे/पे मैट्रिक्स लेवल	देय ग्रेड-पे/पे मैट्रिक्स लेवल
1	समदर सिंह शेखावत तकनीकी सहायक	राज 0 सैटेलाइट हॉस्पिटल खैरथल	04.08.1998	04.08.2025 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
2	सत्यनारायण यादव लैब टैक्निशियन	पीएचसी डिडावाता, खण्ड माधोराजपुरा जयपुर द्वितीय	06.08.1998	06.08.2025 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
3	महावीर प्रसाद लैब टैक्निशियन	सीएचसी गोलूबाला जयपुर	27.03.1995	27.03.2022 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
4	श्री कृष्णचन्द अरोडा, एसएलटी	सीएचसी शिव बाडमेर	19.01.1995	05.09.2023 फॉरगो करने के कारण 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12

नोट :- उक्त कार्मिकों में यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी सन्तान हुई है तो यह आदेश उक्त कार्मिक पर लागू नहीं होगा। उक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण एसीपी/एमएसीपी स्वीकृती के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पृथक से किया जावेगा।

निदेशक (अराजपत्रित)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/पै.मे.संव./एफ-1142(10048)/2026/105 दिनांक : 16/3/26
 प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित नियंत्रण/प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान।
2. संस्थापन अधिकारी डीपीसी/टीसी अनुभाग मुख्यालय।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड वास्ते।
4. संबंधित कार्मिकों द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी अधिकारी।
5. रक्षित/आदेश पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
 Designation: Director
 Date :13-03-2026 02:14:23

RajKaj Ref No.:
 21006810
 eSign DSC